

मिसिल सं0 ए-22012(11)/4/2021- स्था0-२-पार्ट-2/

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना -२ अनुभाग

तृतीय तल (द), सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066.
दिनांक: 19-04-2023

कार्यालय आदेश

केंद्रीय जल आयोग के दिनांक 21-07-2022 एवं 14-02-2023 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22012(11)/4/2021- स्था0-२ एवं संख्या ए-22012(11)/4/2021- स्था0-२-पार्ट-2/ के क्रम में, श्री के.वी.के. कुचेल, उप निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन (एपी) निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद और श्री मजेटी रवि, उप निदेशक, जल निकाय और आर्थिक निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 20-04-2023 से आगे अगले छः महीने की अवधि के लिए यानी दिनांक 20-10-2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनौपचारिक आधार पर पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, हैदराबाद में ही तैनात रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), हैदराबाद में पोस्टिंग के लिए उपरोक्त अधिकारियों की नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. श्री के.वी.के. कुचेल, उप निदेशक अपना वेतन और भत्ता कृष्णा और गोदावरी बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद से प्राप्त करेंगे।
2. श्री मजेटी रवि, उप निदेशक अपना वेतन और भत्ता केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली से प्राप्त करेंगे।

दोनों अधिकारियों के दौरे का खर्च पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), हैदराबाद द्वारा वहन किया जाएगा।

(सचिन देव वर्मा)
अवर सचिव (स्था0-२)
फोन नं 0 011 – 2958 3637

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष (केंद्रीय जल आयोग) के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सदस्य (नदी प्रबंध/जल आयोजना एवं परियोजना/डिजाइन और अनुसंधान विंग) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन प्रबंध), के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियंता (पीपीओ), के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. मुख्य अभियंता (के&जीबीओ), केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद।
6. सदस्य सचिव (पीपीए), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, हैदराबाद।
7. आयुक्त (एसपीआर), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन (एपी) निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद।
10. निदेशक, जल निकाय और आर्थिक निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
11. निदेशक (समन्वय), जल आयोजना एवं परियोजना निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
12. संबन्धित अधिकारियों।
13. उप निदेशक, डबल्यूपीसी/टीसी/प्रशिक्षण/ई-गवर्नेंस सेल, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

- 14.अवर सचिव, सीएम&वी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 15.अवर सचिव (स्थापना-1/प्रशासन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 16.अधिकाारी अभियंता, निचली गोदावरी मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद।
- 17.वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 18.लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 19.डीडीओ-1, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 20.अनुभाग अधिकारी, लेखा-1/लेखा-3 अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 21.अनुभाग अधिकारी, आवृत्ति एवं निर्गम अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 22.सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु।
- 23.सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
